P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 **SHRINKHALA :** VOL-II * ISSUE-VII March-2015
E: ISSN NO.: 2349-980X

# दलित आन्दोलन के ऐतिहासिक परिपक्ष्य में दलितों की आर्थिक स्थिति

**गोपाल गुप्ता**
सहायक अध्यापक,
इतिहास विभाग,
पं0 श्रीचन्द शर्मा मैमोरियल महाविद्यालय,
मानपुर कला, शिवाला,
खैर, अलीगढ

**सारांश**

भारत मे जाति व्यवस्था एक पुरातन एवं जटिल संरचना है जिससे समाज की आर्थिक स्थिति एवं संरचना का निर्धारण होता हैं विगत कई शताब्दियों से समाज के उच्च वर्ग के रूप में प्रतिष्ठित व्यक्तिया द्वारा अल्पसंख्यक समूहों का जाति एवं धर्म के नाम पर शोषण किया जाता रहा है। दलित अथवा निम्न वर्ग समूह में रखे गये व्यक्तियों को शिक्षा तथा सम्पत्ति के अधिकार से वंचित कर उनके आर्थिक एवं मानसिक विकास को वांधित किया गया यहाँ तक की दलित व्यक्तियों को जीवनयापन के लिये निम्नतम श्रेणी के सेवा कार्यो पर निर्भर रहना पडा। दलितों का आर्थिक विकास उनकी शैक्षणिक स्थिति मे सुधार और लोकसभा और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व से ही किया जा सकता है। इनके समग्र विकास के लिये प्रभावकारी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।

**मुख्य शब्द :** द्विजातियाँ, महलवारी व्यवस्था, अछुता, भूमण्डलीकरण, निजीकरण

**परिचय**

दलितों की आर्थिक उन्नति मे सबसे बड़ी बाधा ऊँची और मध्यम वर्गीय जातियों के साथ उनके हितों का टकराव है। इन जातियों को लगता है कि यदि दलित आर्थिक रूप से समृद्ध और ि"ाक्षित हो गये तो या तो वे ओछे कार्य करेगें नहीं और यदि करेंगे तो ज्यादा मजदूरी मागेंगे। इससे कम मजदूरी पर काम करने वालों की भारी कमी हो जायेगी दूसरी तरफ दलितों की आमन्दनी बढ़ जायेगी और अर्थिक रूप से वे ऊँची जातियों पर निर्भर नही रह जायेगे। इसकी नौबत आये उससे पहले ही भूस्वामी और गाँव के धनी–मानी लोग दलितों से निवट लेना चाहते है।[1] और इसी प्रकार हम देखते है कि प्राचीन काल से ही उच्चवणी लोगों ने धर्म ग्रन्थों के माध्यम से अनेक ऐसे नियम बनाये जिनसे दलितों की आर्थिक स्थिति सदैव कष्टमय बनी रही। अतः मनुस्मृति ने विधान बनाया कि ''यदि शूद्र धन संग्रह करने में समर्थ भी हो तो भी वह धन संग्रह न करे क्योकि धन प्राप्त करके वह ब्राह्मणों को ही सताता है।[2] इसलिये शूद्र की सम्पत्ति को ब्राह्मण बिना रोक टोक के ले सकता है क्योंकि शूद्र का अपना कुछ भी नहीं होता है समस्त धन उसके स्वामी का होता है।[3] फलस्वरूप शूद्र वर्ण की स्थिति और बदतर होती गई। कालान्तर में पें"ाों और व्यवसाय के आधार पर अनेक जातियों का जन्म हुआ। अमर सिंह ने अपने अमर कोष के दूसरे काण्ड के दसवे अध्याय में शूद्र जातियों और उनके व्यवसायों की एक लम्बी सूची दी है। जिसमें सत्ताइस प्रकार के ि"ाल्पियों का जिक्र है।[4] जो इन कार्यो के द्वारा द्विजातियों की सेवा करके अपनी आजीविका चलाते थे।

पूर्वमध्यकाल में जहाँ तक कृषि में शूद्र वर्ण की भूमिका का प्र"न है तो उनकी भूमि मात्र कृषक मजदूर की थी। किसान के लिये प्रयोग होने वाली 'कीना"ा' संज्ञा शूद्र के लिये प्रयोग होने लगी थी।[5] मध्यकाल में भारत पर मुस्लिम आक्रमण के समय मुस्लिम प्रभुत्व के पूर्व नगरों में रहने वाले श्रमिकों की द"ाा अत्यंत शोचनीय थी। वे निम्न वर्ग के थे इसलिये उन्हे हेय दृष्टि से देखा जाता था और वे नगरों के बाहर रखे जाते थे।[6] अधिकारी और सामन्त वर्ग के लोग मनमाने ढंग से इनसे अपनी जमीनों पर खेती करवाते थे। खेती करने के लिए दासों, मजदूरों और गरीब लोगो को बेगारी करने के लिये मजबूर किया जाता था।[7]

निर्बल वर्ग के लोगों का शोषण जमीदार, राजकीय अधिकारी, और महाजन किया करते थे।[8] जबकि व्यापारी ऊपर से निर्वल वर्ग के साथ मृदु व्यवहार करने का दिखावा करते थे परन्तु वास्तव में निर्धनों की सारी सम्पत्ति हड़पने का प्रयास करते थे।[9] दैवीय विपत्तियों जैसे महामारी, अकाल, बाढ़ से त्रस्त लोगों की विपदाओं का लाभ व्यापारी पूरी तरह से उठाते थे और प्रसन्न दिखाई देते थे।[10] व्यापारी ऐसे अवसरों पर आव"यक वस्तुओं का भण्डारण करते

थे और विपत्ति के समय अधिक मूल्य पर लोगों को बेचते थे। वे चीजों को कम तोलते और नाप भी कम करते थे। वे स्त्रियों का अनैतिक व्यापार भी किया करते थे।[11] जबकि निर्धन निर्बल उनकी सेवा करते थे, खाली जमीन पर सोते थे, भूख से तड़पते थे, आधी तूफान और मौसम की विषम परिस्थितियों को सहन करते थे और नारकीय जीवन व्यतीत करते थे।[12]

ग्रामीण उद्योगों में लाभ करने वाले लोगों के अतिरिक्त अन्य निर्बल वर्ग के लोग जैसे जुलाहे, लोहार, तीर कमान बनाने वाले, नगाड़ा बजाने वाले अन्य बांध यंत्रों का निर्माण करने वाले टोकरी बनाने, रस्सी बनाने, मिट्टी के बर्तन और मोर बनाने का कार्य किया करते थे।[13] जबकि कृषक जो अपने परिवार के साथ खेतों में कड़ा परिश्रम करते थे, को अपनी उपज का एक बड़ा भाग सरकार को कर और दूसरे परम्परागत बंधनों के रूप में अदा करना पड़ता था।[14] इस प्रकार किसानों (जिसमें निम्न वर्ग भी सम्मिलित था) को अपने खर्च के लिये बहुत कम बचता था और समाज के अन्य वर्गो की तरह निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था और उसके ऊपर ऋण का बोझ लदा रहता था।[15] जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार असम्भव था।

अंग्रेजी साम्राज्य के अन्तर्गत गरीब, मजदूर, किसान, कामगार श्रमिकों की स्थिति तो और भी दयनीय हो गई थी। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना पूर्ण नियन्त्रण स्थापित करने के बाद ऐसी आर्थिक शोषण की नितियों को अपनाया जिनसे उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो क्योंकि आर्थिक लाभ प्राप्त करना ही साम्राज्य की स्थापना उनका वास्तविक उद्दे"य था। इनकी नीतियाँ भारतीयों की निर्धनता को बढ़ाने वाली और अल्प विकसित रही। यह आर्थिक शोषण ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल से लेकर ब्रिटि"ा सरकार के शासनकाल में भी बना रहा ''ब्रिटि"ाों का हृदय आर्थिक लूट करते समय जरा भी नही पिघलता था इस दृष्टि से ये ऐसे दुष्ट साहूकार थे, जो धन प्राप्त करने के लिये बच्चों की भूख मिटाने के लिये रखे गये अनाज को भी हड़पने में कोई संकोच नही करत थे।''[16] भारतीय कुटीर उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के बाद दूसरी मुख्य व्यावहारिक व्यवस्था थी। अंग्रेजों ने अपने उद्योगों द्वारा इनको हानि पहुँचाई और फिर इनका सारा लाभ स्वयं हड़पना शुरू कर दिया भारत के उद्योग धन्धों के व्यापक विना"ा का दे"ा की अर्थव्यवस्था पर क्य प्रभाव पड़ा होगा। इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है जहाँ ''इग्लैण्ड में हाथ के करघे से काम करने वाले बुनकरों की तवाही के साथ नये म"ाीनी उद्योग का विकास भी हुआ लेकिन वही भारत में लाखों f"ाल्पियों, कारीगरों की तबाही के साथ विकल्प क रूप में किसी नये उद्योग का विकास नही हुआ पुराने और घनी आबादी वाले औद्योगिक नगर ढाका, मुर्सिदाबाद, सूरत आदि ब्रिटेन की कृपा से देखते ही देखते ऐसे उजाड़ हो गये कि भीषणतम युद्ध होने पर या विदे"ाी विजेताओं के f"ाकार होने पर भी उनकी वैसी द"ाा नहो होती। भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाले ''ढाका शहर की आबादी 150000 से घटकर 30000 या 40000 हो गई 1787 में 30 लाख रूपये मूल्य की ढाका की मलमल इग्लैण्ड भेजी गई जो 1817 में बिल्कुल बन्द हो गई।''[17]

जनगणना के आकड़े देखने से ज्ञात होता है कि 1911 से 1931 के बीच उद्योगों पर निर्भर लोगों की संख्या घटी 1911 में यह 11.2 प्रति"ात थी जो 1921 में घटकर 10.49 प्रति"ात और 1931 में 10.38 प्रति"ात हो गई।[18] जबकि कृषि पर निर्भर रहने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई जो 1901 में 66.5 प्रति"ात थी। 1911 में 72.2 और 1921 में 73.0 प्रति"ात तक पहुँच गई।[19] जमीन पर लोगों का बढ़ता दबाव, जीवन यापन के लिये किसी वैकल्पिक साधन का न होना और वह प्रारम्भिक युग जिसमें एक कमाने वाला और दस खाने वाले होते थे किसान को किसी भी शर्त पर अनाज पैदा करने के लिये विव"ा किया गया।[20] वि"व में शायद ही कोई ऐसा दे"ा हो जहाँ जमीन से इतना काम लिया जाता है। भारत की कुल आबादी के बीच 2/3 एकड़ जमीन प्रति व्यक्ति से ज्यादा नहीं पड़ती है इसलिये 2/3 एकड़ प्रति व्यक्ति से जितनी पैदावार हो पाती है, उसी से भारत की आबादी को भोजन और कुछ हद तक कपड़ा मिलता है।[21] ब्रिटि"ाों की लगान व्यवस्था चाहे वह जमीदारी व्यवस्था हो या महलवारी व्यवस्था हो अथवा रैयतवारी व्यवस्था रही हो किसानों को निरन्तर निर्धन बनाने में ही रही। भारत के जमीदारों, साहूकारों और विचौलियों ने किसानों के जीवन में शोषण से पीड़ाये ही भरी। किसान प्राकृति संकटों को झेलकर जो उपज पैदा करता था वह अधिकां"ा लगान और कर्ज में ही चली जाती थी। वह भूखा का भूखा और नंगा ही रहता था।[22] भारत में आर्थिक सीढ़ी के सबसे निचले हिस्से में वे स्थाई खेतिहार मजदूर खड़े है जिन्ह शायद ही कभी नकद मजदूरी मिली हो जिनकी स्थिति पूर्ण दास अथवा आf"ांक दास की है भारत के अनेक भागों में यह प्रथा प्रचलित है कि जमीदार, मालगुजार हमे"ाा ही अपने नौकर को कर्ज के जाल में फसाने में सफल हो जाते है इस प्रकार नौकर पर उसकी जड़ मजबूर हो जाती है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है।[23] बंबई प्रेसीडेंसी में डवला और कोली जाति के लोग है जो कमोवे"ा बंधुआ गुलाम, मजदूर है। इनमें से अधिकां"ा परिवार के सदस्य पिछली कई पीढ़ियों से अपने मालिकों के परिवारों की सेवा एकदम गुलाम की तरह कर रहे है।[24]

मद्रास के दक्षिण पf"चम में इझवा, चेरूमा, पुलेया और होलिया लोग है। ये सब वस्तुतः गुलाम है, पूर्वी तटवर्ती प्रदे"ा में जमीन पर सबसे मजबूत पकड़ ब्राह्मणों की है और खेतिहार मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा पेरिया लोगों का है जो प्रायः पडियाल होते है। पाडियाल खेतिहार गुलामों की एक जाति है जो कर्ज के कारण किसी जमीदार की पुस्तैनी गुलामी की जकड़ में फँस गये। यह कर्ज कभी चुकता नही हो सका जमीन बिकने के साथ ही इनका नये मालिक के पास स्थानान्तरण हो जाता था।[25] खेतिहार मजदूरों का सबसे निकृष्ट रूप बिहार के कामियाँ लोगा में दिखाई देता है ये लोग बधुआ मजदूर है जो लिये गये कर्ज पर चढ़ रहे सूद के बदले में अपने मालिक के लिये नीच कर्म करने के लिए मजबूर है।[26]

1921 में खेतिहार मजदूरों की संख्या 2 करोड 15

लाख बताई गई थी जबकि 1931 की जनसंख्या से पता चलता है कि यह संख्या 3 करोड़ 15 लाख से अधिक हो गई इनमें से भारतीय मताधिकार समिति के अनुसार 2 करोड़ 30 लाख लोग भूमिहीन थे और 2 करोड़ 50 लाख गैर खेतिहार हास मजदूर थे।[27] इस प्रकार सम्पूर्ण भारत में विभिन्न धंधो में लगे लोगों की 15 करोड़ 40 लाख की संख्या मे से मजदूरी पर जीने वालों की संख्या 5 करोड़ 65 लाख आती है। जो सभी तरह के धंधों में लगी पूरी कुल आबादी का 36 प्रति"ात से ज्यादा हिस्सा मजदूरी करके अपनी रोटी कमाता है। आर्थिक रूप से भूमिहीन (मजदूर) वर्ग की स्थिति तो काफी कमजोर है चूँकि वह किसी प्रतिष्ठित व्यवसाय को अपना नहीं सकता जिससे उसे आय प्राप्त हो और जो कुछ जमीन उसके पास है भी जिससे कठिनाइयों से वह अपनी जीविका चला सके वह भी सरकार द्वारा मालगुजारी को जबरन वसूली के कारण किसी सूदखोर महाजन अथवा गैर खेतिहार भूस्वामी को ऋण ग्रस्तता के परिणाम स्वरूप देनी पड़ती थी ''जिससे गैर खेतिहार भू–स्वामियों के पास जमीन इकट्ठी होने की आसका बठी।''[28] 1928 में ब्रिट्रि"ा ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रति निधि मंडल ने भारत की यात्रा के बाद जो रिपोर्ट वे"ा की उससे ज्ञात होता है कि भारत क मजदूरों की एक वि"ााल संख्या को लगभग 1 ि"ालिंग से अधिक मजूदरी नही मिलती और कही कही तो महिलाओं और बच्चों को तीन पैसं और पुरुषों को 7 पेंस और पुरुषों को 7 पेंस से भी कम मजदूरी मिलती थी।[29] जिससे वे अपनी मामूली से मामूली जरूरतों को भी प्रा नहीं कर पाते।

20 नवम्बर 1930 को दलित वर्गों के अखिल भारतीय अधिवे"ान में डॉ0 अम्बेडकर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि ''भारत में अनेक जातियाँ अत्यन्त दयनीय एवं गुलामी की स्थिति में जी रही है, किन्तु दलित वर्गों की स्थिति बिल्कुल भिन्न है अन्तर केवल इतना है कि कृषि कामियों और नौकरों के साथ अस्पृ"यता का व्यवहार नही किया जाता, जबकि दलित वर्ग अस्पृ"यता के अभि"ाप के ि"ाकार है अस्पृ"यता के कारण उन पर लादी गई गुलामी से न केवल सार्वजनिक जीवन में उनके साथ भेदभाव बरता जाता है बल्कि उन्हें समान अवसरों और मानवीय जीवन के लिये आव"यक नागरिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है।[30] अंग्रेजी शासन में पहले आप अछूत प्रथा के कारण घृणित स्थितियों में रह रहे थे क्या ब्रिट्रि"ा सरकार ने अछूत प्रथा (अस्पृ"यता) समाप्त करने के लिये कुछ किया। अंग्रेजों के आने स पहले गाँव से पानी लेने, मन्दिरों में प्रवे"ा करने पुलिस में भर्ती होने का अधिकार नही था और आज भी वर्षों बाद ये समस्यायें वैसी ही बनी हुई है। जैसी पहले थी।[31] दलित गरीबी में ही पैदा होते है गरीबी में ही जीते है, और गरीबी में ही मर जाते है वे भमिहीन घर विहीन और साधन विहीन है व्यापार एवं उद्योग से उनका दूर दूर तक वास्ता नही है। वे अक्सर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है इसलिये रोजगार ही एकमात्र उनकी आ"ाा की एक किरण है।[32] आपके सिवा आपके दुख दर्द दूसरा कोई दूर नही कर सकता और इन्हें तब तक दूर नही किया जा सकता जब तक राजनैतिक सत्ता आपके हाथों में न आ जाये। जब तक अंग्रेज सरकार बनी रहेगी, तब तक सत्ता का एक भी अं"ा आपके हाथों में नही आयेगा केवल स्वराज्य के संविधान में ही आपको राज सत्ता लेने का मौका मिल सकता है और इसके बिना आपका उद्वार नही हो सकता।[33] और राजनैतिक सत्ता आने पर ही आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकेंगे। वास्तव में उत्पीडित वर्गों के हित और उनकी मुक्ति और समृद्धि अनिवार्य रूप से भारतीय जनता के राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन से जुड़ी है जाति–पाति की घिसटती हुई प्रथा, पिछड़ापन अति दरिद्रता उपदे"ा देने या कोसते रहने से दूर नहीं होगी वह राजनीतिक जनंतत्र के विकास और आधुनिक उद्योग के विकास से ही दूर होगी क्योंकि ''आधुनिक उद्योग धंधे मजदूरों के उस पुस्तैनी विभाजन को समाप्त कर देंगे जिस पर भारत की वह जाति प्रथा आधारित जो भारत की प्रगति में रूकावट डालती है आर भारत को शक्ति"ााली नही होने देती।''[34]

दलितों का आर्थिक विकास उनकी शैक्षणिक स्थिति में सुधार और लोक सभा और विधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व के माध्मय से ही हल किया जा सकता है वैसे स्वतन्त्रा प्राप्ति के बाद दलितों को जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए है उन्होंने दलितों की आर्थिक द"ाा सुधारने के प्रयास किये है जो सदियों से गरीबी के चक्र में पिसते आ रहे थे। नौकरियों एवं सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में उनके बढ़ते प्रतिनिधित्व ने उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का समग्र प्रयास किया है।[35] बड़े पदो पर भी पिछड़ी जातियों की नियुक्तियों का प्रावधान है यद्यपि ''न्यायालय ने अति वि"ाष्ट सेवाओं प्रतिरक्षा औषधि, भौतिक विज्ञान, गणित आदि के पद आरक्षण के बाहर रखे इसके अतिरिक्त प्राध्यापकों इण्डियन एअरलाइंस एयर इण्डिया के पायलटा, परमाणु और अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों तकनी"ायनों के पद में योग्यता के पैमाने का निर्धारित किया। इसका मतलब यह नही है कि निचली और पिछड़ी जातियों को निचले स्तर तक ही सीमित कर दिया गया वे प्र"ाासन के कई उच्च पदो, जिला न्यायाधी"ाों की नियुक्तियों में सीधे तोर पर आरक्षण पा सकते है।''[36] वस्तुतः समाज के कमजोर वर्गो के समग्र विकास के लिये पर्याप्त प्रतिनिधित्व ही नही बल्कि प्रभावकारी प्रतिनिधित्व की आव"यकता है। इसलिये प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की आव"यकता है इन सेवाओं में दलितों का प्रति"ात काफी कम ह जिसे नीचे सारणी में द"ााया गया है।

**स्वतन्त्रता के पश्चात विभिन्न श्रेणियों की सरकारी सेवाओं में दलितों का प्रतिनिधित्व**[37]

| श्रेणी | 1953 | 1963 | 1974 | 1980 | 1987 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रथम श्रेणी | 20 (0.35) | 250 (1.78) | 1094 (3.2) | 2375 (4.95) | 4746 (8.23) | 10.558 (11.29) |
| द्वितीय श्रेणी | 113 (1.29) | 707 (2.98) | 2401 (4.6) | 5055 (8.54) | 7847 (10.47) | 13.306 (12.68) |
| तृतीय श्रेणी | 24.819 (4.52) | 84714 (9.24) | 161.775 (10.3) | 235.555 (13.44) | 307.980 (14.46) | 378.115 (15.78) |
| चतुर्थ श्रेणी | 161.958 (20.52)* | 151,176 (17.15) | 230864 (18.6) | 247.607 (19.46) | 234614 (20.09) | 189.860 (19.99) |

(1953 की सरकारी सेवाओं (चतुर्थ श्रेणी) में सफाई कर्मचारी (झाडू लगाने वाले) सम्मिलित है)

योजना आयोग द्वारा 1993–94 में किये गये आंकलन के अनुसार दे"ा में 32 प्रति"ात शहरी तथा 37 प्रति"ात ग्रामीण गरीब दलित है भारत में 15 वर्ष एवं उससे ज्यादा उम्र के क्रम"ाः 3.4 एवं 3.7 प्रति"ात ग्रामीण एवं शहरी लोगों को सरकारी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध था।

जहाँ 1989–90 में 36.7 ग्रामीण तथा 34.8 प्रति"ात शहरी आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी, वही वर्ष 1998–99 में अनुपात घटने के बजाय बढ़कर क्रम"ाः 44.9 तथा 31.6 प्रति"ात हो गया और तो और आज भी भारत की 44.2 प्रति"ात जनसंख्या प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी से भी बहुत कम उपार्जित कर तंगी में जीवन बसर करने को अभि"ाप्त है।[38]

**भारत में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों का गरीबी स्तर वर्श 1999–2000[39]**

| क्र0सं0 | राज्य | अनुसूचित जातियाँ |
|---|---|---|
| 1 | आन्ध्र प्रदे"ा | 16.5 |
| 2 | आसाम | 44.0 |
| 3 | बिहार | 59.8 |
| 4 | गुजरात | 17.8 |
| 5 | हरियाणा प्रदे"ा | 13.2 |
| 6 | जम्मू एण्ड क"मीर | 7.1 |
| 7 | कर्नाटक | 26.2 |
| 8 | केरल | 14.6 |
| 9 | मध्य प्रदे"ा | 41.3 |
| 10 | महाराष्ट्र | 33.3 |
| 11 | उड़ीसा | 51.8 |
| 12 | पंजाब | 12.4 |
| 13 | राजस्थान | 19.6 |
| 14 | तमिलनाडू | 32.6 |
| 15 | उत्तर प्रदे"ा | 43.7 |
| 16 | प"िचमी बंगाल | 35.1 |
| 18 | अन्य राज्य और संघ प्रदे"ा | |
| 19 | अण्डमान निकोबार द्वीप समूह | |
| 20 | अरूणाचल प्रदे"ा | |
| 21 | चण्डीगढ़ | 0.8 |
| 22 | दादर एवं नगर हवेली | - |
| 23 | दमनद्वीप | - |
| 24 | दिल्ली | 3.4 |
| 25 | गोवा | - |
| 26 | लक्ष्यद्वीप | - |
| 27 | मड़ीपुर | - |
| 28 | मेघालय | - |
| 29 | मिजोरम | - |
| 30 | नागालैण्ड | - |
| 31 | पाण्डुचेरी | - |
| 32 | सिक्किम | 34.0 |
| 33 | त्रिपुरा | 15.1 |

**स्रोत : विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों से आकड़े इकटठे किये गये है।**

भारत में अत्यधिक अनुसूचित जातियों वाले राज्यों में अत्यधिक गरीबी प्रति"ात (59.8) प्रति"ात, उड़ीसा (51.8) प्रति"ात और उत्तर प्रदे"ा (43.7) प्रति"ात शुमार है इसके विपरीत केरल (14.6) प्रति"ात, हिमांचल (13.2) प्रति"ात और पंजाब (12.4) प्रति"ात, राज्यों में ऊपर दिये गये राज्यों की तुलना में कम गरीबी प्रति"ात है।[40]

गाँवों में रहने वाला खेतिहार मजदूर और गरोब किसान उदारीकरण निजीकरण और भूमण्डलीकरण की नीतियों को भले ही ना समझे मगल वे जानते है। कि पिछले दस सालों में कृषि संकट बढ़ा है किसान कर्ज में डूबा हैं वह आत्महत्या करने के लिये वाध्य है। ''मध्य प्रदे"ा के श्योपुर जिले के वंडाली गाँव के भूमिहीन खेतिहार मजदूर जयलाल की पत्नी की भूख से मौत हो गई। उसके दो बच्चों की भी एक सप्ताह के भीतर भूख से मौत हो गई।''[41] रोजगार के अभाव में आज गाँव में लोग भूख से मरने लगे है। उसका सबसे बड़ा कारण नवउदारवाद की आर्थिक नीतियाँ है।[42]

यद्यपि सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (स"ाोधन) विधेयक एक सराहनीय प्रयास था किन्तु इसमें छोटे शहरों और कस्बों की गरीबी की ओर ध्यान नही दिया गया उदारीकरण के इस युग में आर्थिक सुधारों के पूर्व बेरोजगारों की संख्या में जो कमी हो रही थी वह पलट गई है। ''1980 के द"ाक में जहाँ गरीबों को 70 लाख रोजगार उपलब्ध हो रहे थे वही 1990 के द"ाक में घटकर प्रतिवर्ष 35 लाख रह गये।''[43]

नीची जाति के अछूतों की संख्या कुल भारतीय जनसंख्या का 1/5 वॉ हिस्सा है सन् 2001 में यह संख्या 16 करोड़ 70 लाख हो गई। इन जातियों का ऐतिहासिक तौर पर अपवर्जन और भेद भाव का "िाकार होना पड़ा है। जिसके फलस्वरूप इन जातियों के पास पूंजीगत सम्पदा (भूमि तथा भूमिएतर) की कमी है।

अनुसूचित जाति के कामगारों की बेरोजगारी पर ग्रामीण क्षेत्रों में 5.0 प्रति"ात तथा शहरी क्षेत्र में 5.2 प्रति"ात है जबकि अन्य जाति के कामगारों की बेरोजगारी दर 3.5 प्रति"ात तथा 3.5 प्रति"ात है।[44] ''1981 में अनुसूचित जाति के कुल ग्रामीण परिवारों के पास केवल 32 प्रति"ात कृषि भूमि थी जबकि अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण परिवारों के पास 56.08 और गैर अनुसूचित जाति/जन जाति के सदस्यों के पास 55.26 प्रति"ात कृषि भूमि थी 1991 में अनुसूचित जाति के ग्रामीण परिवारों का कृषि भूमि अनुपात 29.37 और 2001 में 26.78 प्रति"ात ही रह गया।''[45] रोजगार की संभावनाये कम होने के कारण मेहनत मजदूरी पर इनकी निर्भरता ज्यादा है अतः कृषि श्रमिकों के रूप में इनका प्रति"ात सर्वाधिक है। ''1981 में 53.20 प्रति"ात, 1991 मे 55.12 और 2001 में 46.15 प्रति"ात अनुसूचित जाति के श्रमिक कृषि कार्यों में संलग्न थे।''[46]

आय अर्जन की परिसंपदाओं की लाभ मौजदूगी, मेहनत मजदूरी की व्यापकता तथा बेरोजगारी की ऊँचो दर यह सब बाते मिलकर अनुसूचित जातियों के बीच गरीबी के मकड़जाल को मजबूती प्रदान करती है। ''सन् 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में 35.43 प्रति"ात अनुसूचित जाति के व्यक्ति गरीब थे जबकि अन्य जातियों के मात्र 20 प्रति"ात व्यक्ति ही ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन थे।''[47]

अनुसूचित जाति के लोगों के आय साधन भी भिन्न है उनमें से अधिकां"ा 78.5 प्रति"ात कृषि मजदूरी करके गुजारा करते है और 15.58 प्रति"ात कृषक है और केवल 2.40 प्रति"ात नौकरी से अपना जीवन यापन करते है। जबकि 3.28 प्रति"ात अन्य प्रकार के श्रम और 1.23 प्रति"ात अन्य प्रकार की नौकरियों से आय प्राप्त कर गुजारा करते है।[48] वास्तव में ऐसे लोगों का सही आर्थिक तस्वीर को चित्रित या प्रस्तुत करना बड़ा कठिन है क्योंकि वे डेली कमाने वाले है और जो कुछ भी पारिश्रमिक मिलता है वह केवल उस दिन के लिये ही पर्याप्त होता है। वे आने वाले कल बारे में भी नही सोच सकते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें इन्ही परिस्थिति में रहने के लिये विव"ा किया जाता है। वे आ"ाहीन स्थिति में है और अपने अस्तित्व के लिये लगातार संघर्ष करते है। ''वे अक्सर साहूकारों और जमीदारों के ऋण से दवे रहते है और मजदूरी करके जमीन एवं आभूषणों को बेचकर ही वे ऊँची व्याज दर वाले ऋण को बमु"किल चुका पाते है।''[49] जिससे उनका आर्थिक स्तर पिछड़ जाता है और परिवार चलाने हेतु सदैव धन का अभाव रहता है जिस कारण वे "िाक्षा भी प्राप्त नही कर पाते।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राधाकृष्नन, पी0 : अम्बेडकर लीगेसी दू दलितस, इकॉनामिक एण्ड पालिटिकल वीकली, 17 अगस्त 1991, पृ0 1911–21
2. मनुस्मृति : भार्गव पं0 अयोध्या प्रसाद, भार्गव पुस्कालय, इलाहाबाद, अध्याय 10, मंत्र 129.
3. मनुस्मृति : वही अध्याय 8, मंत्र 417.
4. अमरसिंह : अमरकोष, भटटक्षीर स्वामी (भाष्य), पूना, 1941, काण्ड 2, अध्याय 10, श्लोक 5–14.
5. शर्मा, राम"ारण : शूद्रा का प्राचीन इतिहास, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, 1992, पृ0 228.
6. सचाऊ, एन0सी0 : अलवरूनी इंडिया, जिल्द दो, लंदन 1914 पृ0 137, (और देखे) हवीव मोहम्मद इट्रोडक"ान, इलियट एण्ड डाउसन जिल्द दो, पृ0 52.
7. प्रका"ा, बुद्ध : सम एस्पेक्ट ऑफ इण्डियन कल्चर आन द इव ऑफ मुस्लिम इनवेजन, चंडीगढ़, 1962, पृ0 5.
8. श्रीवास्तव, चन्द्रभाल : सल्तनत कालीन कृषि जीवी निर्बल वर्ग, रिसर्च एसोसिएट, इतिहास विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, 1984, पृ0 82
9. श्रीवास्तव, चन्द्रभाल : वही, पृ0 82
10. श्रीवास्तव, चन्द्रभाल : वहो, पृ0 82–83
11. श्रीवास्तव, चन्द्रभाल : वही, पृ0 83
12. बुद्ध, प्रकाश : सम ऐसपेक्ट्स ऑफ इडियन कल्चर आन द इव ऑफ मुस्लिम इनवेजन, पृ0 16
13. गोपाल, एल0 : लाइफ आर्फ नादर्न इण्डिया, दिल्ली, 1965, पृ0 78 (और देखे) अशरफ, के0एम0: वही, पृ0 92
14. अशरफ, के0एम0 : लाइफ एण्ड कण्डीशन ऑफ द पीपुल्स ऑफ हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, 1970, पृ0 93
15. दास गुप्ता, जे0एन0 : वंगाल इन दि सिक्सटीन्थ सेन्चुरी, कलकत्ता, 1914, पृ0 162–163
16. जैन, के0सी0 : आधुनिक भारत का इतिहास, यूनिवर्सिटी पब्लिके"ान, नई दिल्ली, 2008, पृ0 20
17. पामदत्त, रजनी : आज का भारत, मैकमिलन कम्पनी इण्डिया लिमिटेड 1977, नई दिल्ली, पृ0 143 (भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा प्रवर्तित).
18. पामदत्त, रजनीः आज का भारत, पृ0 181.
19. पामदत्त, रजनी : आज का भारत, पृ0 220.
20. शाही आयोग की रिपोर्ट, 1928, पृ0 433, नई दिल्ली.
21. होल्डर, नेस थामस : पीपुल्स एण्ड प्राब्लम्स ऑफ इण्डिया, 1911, पृ0 139.
22. जैन, के0सी0 : आधुनिक भारत का इतिहास, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008, पृ0 25–27.
23. मुखर्जी, आर0 : लैण्ड प्राब्लम्स ऑफ इण्डिया, लॉगमैन, लंदन, 1933, पृ0 225–26.
24. मुखर्जी, आर0 : वही, पृ0 227.
25. मुखर्जी, आर0 : वही, पृ0 228.
26. मुखर्जी, आर0 : वही, पृ0 229.
27. आई0एल0 ओ0 रिपोर्ट 1938, इंडस्ट्रियल लेवर इन इंडिया, पृ0 30 (और देखें) जे0एच0 हट्टन : सेंसस ऑफ इडिया, मैनेजर ऑफ पब्लिके"ान, दिल्ली, 1931, खण्ड– ए भाग 1 पृ0 285,
28. सेंसस ऑफ इंडिया, 1931, खण्ड 1, भाग 1 पृ0 288.
29. ए0ए0 परसेल और जे0 हाल्स वर्थ : रिपोर्ट आन लेवर कंडी"ान इन इंडिया, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 1928, कलकत्ता, पृ0 10
30. अम्बेडर, डा0बाबा साहेब : सम्पूर्ण वाड्मय, खण्ड 5, डॉ0 अम्बेडकर प्रतिष्ठान मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, 1995 पृ0 15.
31. अम्बेडर, डा0 बाबा साहेब : सम्पूर्ण वाड्मय, खण्ड 5. पृ0 16.
32. कर्दम, जयप्रका"ा : जाति एक विम"र्ा, मुहिम प्रका"ान, हापुड, 1999, पृ0 128
33. अम्बेडर, डा0बाबा साहेब : सम्पूर्ण वाड्मय, खण्ड 5, पृ0 18.
34. मार्क्स ; फ्यूचर रिजल्टस ऑफ ब्रिटि"ा रूल इन इंडिया, न्यूयार्क, ट्रिव्यून, 8 अगस्त, 1853
35. पर्सनल इण्टर व्यू विद डा0 नगीना सिंह (दलित एक्सपर्ट) कैरौना डिग्री कालेज, सहारनपुर, 2.12.2010
36. दैनिक भास्कर, जवलपुर, 11 दिसम्बर, 1992
37. गवर्नमेंन्ट ऑफ इण्डिया : 1955 :1134; रिपोर्ट ऑफ कमि"नर ऑफ "िाडयूल्ड कास्ट एण्ड "िाडयूल्ड ट्राइब्स 1963–4 : 165–6; 1974–5 : 82; 1986–7 : 508 मैनेजर पब्लिके"ान, नई दिल्ली.
38. कमार, अरूण : उदारीकरण, भूमण्डलीकरण एवं दलित, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ0 129.
39. एन0एस0एस0 फिफ्टी फिफ्थ राउण्ड, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एण्ड प्रोगाम इम्प्लीमेन्टे"ान, गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया, 1999–2000, पृ0 461
40. थोराठ, सुखाडियो : दलित्स इन इंडिया, सेज पब्लिके"ान, नई दिल्ली, 2009, पृ0 278.
41. दैनिक भास्कर (जवलपुर) 31 अगस्त 2005,'' (सम्पादकीय टिप्पणी) कृषि नीति'' देविन्दर शर्मा)

42. f”ाखर वार्ता : 28 फरवरी 2005, पृ0 56.
43. कुमार, अरूण (संपा) : उदारीकरण, भूमण्डलीकरण एवं दलित, रावत पब्लिके”ान, जयपुर 2009, पृ0 90.
44. योराट, सुखदेव : निजी क्षेत्र में आरक्षण नीति, इतिहास बोध प्रका”ान, इलाहाबाद 2005, पृ0 16.
45. थोराट, सुखाडियो ; दलित्स इन इण्डिया, पृ0 48—49.
46. थोराट, सुखाडियो (सुखदेव) : दलित्स इन इण्डिया, पृ0 49.
47. थोराट, सुखदेव : निजी क्षेत्रों में आरक्षण नीति, पृ0 16.
48. पासवान, डा0 संजय एवं जैदेवा परमां”ी : साइक्लोपीडिया ऑफ दलित इन इण्डिया : जनरल स्टडी : वाल्यूम प, कल्पज पब्लिके”ान्स, दिल्ली, 2002, पृ0 126.
49. पासवान, डा0 संजय एवं जैदेवा परमां”ी : इन साइक्लोपीडिया ऑफ दलित्स, वाल्यूम 1, पृ0 127—128

**Subscription/Declaration Form for the Publication of Paper in Journals/Magazine**

Distributed by
**Social Research Foundation**
A Non-Governmental Organization
No. 6732/K-44490 * 1309/31-01-2011
128/170, H-Block, Kidwai Nagar, Kanpur - 208 011

Contact : **Rajeev Misra** (Secretary)
Mob. : 0512-2600745, 9335332333, 9839074762
web : www.socialresearchfoundation.com
e-mail : socialresearchfoundation@gmail.com
Facebook ID : rajeevmisra.socialresearchfoundation

**Personal Details**

Name :........................................
Designation :........................................
Department :........................................
Name of Institution:........................................
........................................
Address of Institution:........................................
........................................
City..................Pin..................Country..........
College Website:........................................
Residential Address (where journal to be post)
........................................
........................................
City..................Pin..................Country..........
Phone..................Mobile........................
E-mail:........................................

Signature Date Introduced by

**Payment Details** (Any type of payment is not refundable)

I wish to **subscribe** ☐ **renew my subscription** ☐
**present a paper/article** ☐ in your reputed journals/magazine.
**Subscription Type**
One Year ☐ Five Year ☐ Lifetime ☐ Paper Presentation ☐
**Subscription For**
Asian Resonance ☐ Periodic Research ☐ Srinkhala ☐
Remarking ☐ Any Other........................................
**Mode of Payment**
Bank Draft / Cheque No. .................... Date..................
for Rs./US$..................drawn on........................
in favour of **"Social Research Foundation"** payable at Kanpur.
**In case of** On-line pay (Transaction ID/UTR)........................
transfer in **Indian Bank, Saket Nagar, Kanpur** Branch
Account No. 933846442 ☐ 957376282 ☐ for Rs..................
**IFS Code :** IDIB000S150, **CBS Code :** 01628
***Any other Remark / Instruction*** ........................................
- Please add Rs. 100/- towards bank charges, in case of outstanding cheques.
- Payments from abroad must be sent through Bank Draft only.

**Declaration Form by the Author(s)** (Please read it carefully)

Photo of Author | Subscriber/ Author's Name ........................ | Co-Author's Name ........................ | Photo of Co-author

I, hereby, declare that this paper/article titled ........................................
........................................
........................................
and other information given in this form are true and original. Also, it is declared that above paper/article is not copied or not under review for another publication and not yet published anywhere and the above paper is within 5000 to 5500 words. The opinions and statements published are the responsibilities of mine/us and not policies overviews of the editor. **Publisher are fully authorize to publish my/our paper/article in any of the publication (Asian Resonance/Periodic Research/Shrinkhala) according to the quality of the paper / language / review process of their policies.**

Also, it is in my knowledge that for publication, all rights reserved by Publisher, no part of their publication may be reproduced, stored in a retrieval system, used in a spreadsheet, or transmitted in any means- electronic, mechanical, photocopying or otherwise without prior permission in writing. The articles/papers originally published in other magazines / journals are reprinted with permission Publisher holds the copyright of the selection, sequence, introduction material, value addition, questions at the end and illustration.

The views expressed in these publications are purely personal judgements of the author(s) and do not reflect the views of the institute or the organizations with which they are associated.

All efforts are made to ensure that the published information is correct. The "Social Research Foundation"/publisher is not responsible for any error caused due to oversight or otherwise.

The publisher is not responsible for any discrepancy / inaccuracy in the paper / material / data provided by the Author(s). In case of any nuisance, the author(s) will be responsible for the inaccuracy / discrepancy and any type of claim.

All disputes will be subject to Kanpur Jurisdiction only.

Signature of Author Signature of Co-author

Please note that if any matter found copied from any sources, fee will not be refunded and against such author(s) legal action may be taken under copy right act by competent authorities.